



उपस्थिति

- 1- चामू सिंह गस्याल, सदस्य-न्यायिक
- 2- ओपी दीक्षित, सदस्य-तकनीकी
- 3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य-उपभोक्ता

परिवाद संख्या- 38/2023-24 (पिथौरागढ़)

श्रीमती ज्योति सानी
ग्राम प्रधान चौकोड़ी एवं अन्य ग्रामवासी
चौकोड़ी, पिथौरागढ़

बनाम

अधिकांसी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
धारचूला

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनकी ग्राम पंचायत चौकोड़ी में लगभग 25 परिवारों को विद्युत संयोजन नहीं मिल पा रहा है जिस कारण से विद्यालय जाने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही अन्य कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इन परिवारों को यथाशीघ्र बिजली कनेक्शन दिलवाने के लिये विभाग को निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 414 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अधिकांसी अभियंता धारचूला को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 12.06.2024 में वादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित सुश्री दीक्षा पांडे उपखंड अधिकारी ने बताया कि प्रकरण में उपजिलाधिकारी बेरीनाग ने पत्रांक संख्या 115 दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से बेरीनाग-चौकोड़ी में टी स्टेट की भूमि पर बनाए/निर्माणाधीन भवन/मकानों आदि में पेयजल एवं विद्युत कनेक्शन ना दिये जाने के निर्देश दिये हैं तथा माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों 2020 के अनुच्छेद 3.3.2 के अनुसार ऐसे परिसरों में संयोजन नहीं दिया जा सकता। यह भी बताया गया कि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अतः वादीगण को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही आगे की कार्यवाही करनी होगी।

आदेश

प्रकरण में उपजिलाधिकारी बेरीनाग के इन परिसरों में विद्युत संयोजन ना देने के आदेश तथा प्रकरण के माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत वादीगण को कहा जाता है कि वह संबंधित उपजिलाधिकारी तथा माननीय उच्च न्यायालय से लगी रोक को हटाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण के साथ निर्धारित प्रपत्रों तथा वैध मालिकाना हक एवं आईडी के साथ विभाग के संबंधित उपखंड अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करें।

क्रा. 62 38/ 223-24

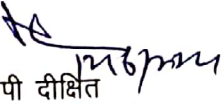
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

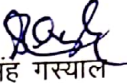
दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 12.06.2024


पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य-उपभोक्ता


ओपी दीक्षित
सदस्य-तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य-न्यायिक



उपस्थिति

- 1- चामू सिंह गस्याल, सदस्य-न्यायिक
- 2- ओपी दीक्षित, सदस्य-तकनीकी
- 3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य-उपभोक्ता

परिवाद संख्या- 45/2023-24 (पिथौरागढ़)

श्री कृष्णानंद भट्ट
ग्राम बस्तडी पो.सिंगाली
डीडीहाट, पिथौरागढ़

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
धारचूला

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या डीएच 23278020290 के सापेक्ष लगे मीटर में रीडिंग बहुत ज्यादा आ गई है जिसके लिये उन्होंने मीटर चैक कर बिल ठीक करने के लिये अनुरोध किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 436 दिनांक 21.03.2024 के द्वारा अधिशाली अभियंता धारचूला को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 12.06.2024 में वादी की तरफ से श्री कृष्णानंद भट्ट तथा प्रतिवादी की तरफ से अधिशाली अभियंता-धारचूला श्री बिष्ट उपस्थित हुए। वादी का कहना है कि उनका दो महीने का बिल पांच सौ रूपए से कम आता था जो एकाएक बढ़ गया है। विभाग की तरफ से उपस्थित अधिशाली अभियंता धारचूला श्री बिष्ट ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। उन्होंने बताया कि वादी का बिल रीडिंग के अनुसार है और सही है।
बिलिंग हिस्ट्री देखने के पश्चात ज्ञात होता है कि फरवरी 2024 में मीटर की रीडिंग 1448 यूनिट थी जो कि चैक मीटर उतारते वक्त 2935 यूनिट आई। वर्तमान में यह रीडिंग 2952 है। यह भी प्रतीत होता है कि वादी का पिछले महीनों में विद्युत उपभोग 33-175-38-51-109-84.....यूनिट्स रहा है। अप्रैल के बिलिंग चक्र में, जिसका बिल अभी विभाग द्वारा निर्गत होना है, का बिल वर्तमान रीडिंग, 2952-1448=1504 यूनिट का बिल निर्गत होगा, जो कि वादी के विगत में हुए विद्युत उपभोग से कई गुना ज्यादा है, इससे यह प्रतीत होता है कि यह प्रकरण या तो डम्प रीडिंग से संबंधित है अथवा जम्प रीडिंग से संबंधित है जिसकी पुष्टि एमआरआई कराने के पश्चात हो पाएगी।
3. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 12.06.2024 को वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित अधिशाली अभियंता श्री बिष्ट ने बताया कि मीटर की एमआरआई की गई थी जिसमें आरटीसी फेल पाई गई। जिसको खराब मानते हुए दिनांक 26.04.2024 को मीटर बदल दिया गया है। वादी से उनके द्वारा दिये गए फोन नंबर 9411556800 पर बात की गई जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनका बिल 8900 रूपए से संशोधित होकर 1352 रूपए बना है जिसे वह जमा करने के लिये तैयार हैं।
उनको यह भी बताया गया कि नए मीटर के छह महीने के विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर मीटर खराब की पुरानी अवधि का पुनरीक्षण किया जाएगा।

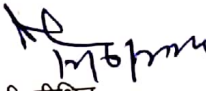
आदेश

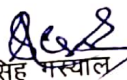
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नए मीटर के 6 महीने के विद्युत उपभोग के औसत के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मीटर खराब अवधि का ऐसेसमेंट किया जाए। यह ऐसेसमेंट मीटर बदलने की तिथि दिनांक 26.04.2024 से छह महीने व्यतीत होने के पश्चात पंद्रह दिन के अंदर कर, संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराया जाए जिसको वादी द्वारा 15 दिन के अंदर जमा कराया जाएगा। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि संशोधित बिल निर्गत करने के 15 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 12.06.2024


पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य-उपभोक्ता


ओपी दीक्षित
सदस्य-तकनीकी


चामू सिंह मस्थाल
सदस्य-न्यायिक



उपस्थिति

- 1- चामू सिंह गस्याल, सदस्य-न्यायिक
- 2- ओपी दीक्षित, सदस्य-तकनीकी
- 3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य-उपभोक्ता

परिवाद संख्या- 51/2024-25 (पिथौरागढ़)

श्री भाष्कर दत्त भट्ट
ग्राम बस्तडी पो.सिंगाली
डीडीहाट, पिथौरागढ़

बनाम

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
धारचूला

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके संयोजन संख्या डीएच 23278020304 के सापेक्ष लगे मीटर में किसी अज्ञात कारणवश रीडिंग बहुत ज्यादा आ गई है जिसके लिये चैक मीटर भी लगाया गया था जो कि सही पाया गया है। उन्होंने अधिक बिल के समाधान हेतु उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 51 दिनांक 01.06.2024 के द्वारा अधिकासी अभियंता धारचूला को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 12.06.2024 में विभाग की तरफ से उपस्थित अधिकासी अभियंता धारचूला श्री बिष्ट ने बताया कि वादी के परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। उन्होंने बताया कि मीटर एमआरआई की गई थी जिसके अनुसार मीटर की क्रियाशीलता तथा रीडिंग सही पाई गई। वादी की बिलिंग हिस्ट्री देखने से प्रतीत होता है कि वादी का बिल फरवरी 2024 के बिलिंग चक्र में 397 यूनिट उपभोग का है, जबकि इससे पहले के बिलिंग चक्रों में यह 107-161-91-68..... रिकॉर्ड किया गया है। वादी से उनके द्वारा दिये गए फोन नंबर 7351063108 पर बात की गई और बताया गया कि सिर्फ फरवरी 2024 के बिलिंग चक्र में किन्हीं कारणों से विद्युत उपभोग अधिक रहा होगा, जिसका बिल रु.1845 निर्गत हुआ है जो सही है तथा देय है। वादी ने इस पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

आदेश

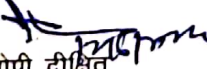
विभाग द्वारा वादी के मीटर की चैक मीटर तथा एमआरआई के द्वारा सत्यता एवं क्रियाशीलता की जांच की गई जिसमें मेन मीटर सही पाया गया है। वादी द्वारा फोन पर उपरोक्त प्रकरण में संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

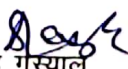
दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 12.06.2024


पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य-उपभोक्ता


ओपी दीक्षित
सदस्य-तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य-न्यायिक



उपस्थिति

- 1- चामू सिंह गस्याल, सदस्य-न्यायिक
- 2- ओपी दीक्षित, सदस्य-तकनीकी
- 3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य-उपभोक्ता

परिवाद संख्या- 52 / 2024-25 (पिथौरागढ़)

श्री शंकर नाथ
ग्राम जमतड़ी, आमलाघाट
पिथौरागढ़

वादी

बनाम

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

प्रतिवादी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके गांव में तीन दिन से लाइट नहीं आ रही है तथा कोई इस बारे में सुन नहीं रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द लाइट ठीक कराने के लिये निवेदन किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 53 दिनांक 01.06.2024 के द्वारा अधिकासी अभियंता पिथौरागढ़ को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।
2. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 12.06.2024 में वादी की तरफ से संतुष्टि पत्र की प्रतिलिपि पेश की गई। विभाग की तरफ से उपस्थित उपखंड अधिकारी सुश्री दीक्षा पांडे ने बताया कि दिनांक 30.05.2024 को सांय 5 बजे ग्राम नैनी में 11 केवी के तार टूट जाने के कारण नैनी, दियुड़ी, बनार व जमतड़ी की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई थी। विभाग द्वारा अगले दिन दिनांक 31.05.2024 को लगभग एक बजे तक विद्युत तारों को पुनः खींच कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई थी।

आदेश

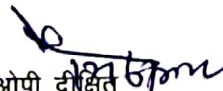
विभाग द्वारा पुनः तार खींचकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने तथा वादी द्वारा प्रकरण में संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत वाद को निस्तारित किया जाता है।

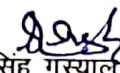
दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 12.06.2024


पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य-उपभोक्ता


ओपी दीक्षित
सदस्य-तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य-न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora - 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com



कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा - 263601

उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-171/2024

श्री विनोद अग्रवाल,
मोहल्ला त्यूनरा,
अल्मोड़ा

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
अल्मोड़ा

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या एआर 14141000330 के सापेक्ष अत्यधिक बिल आने के कारण उनके परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था जिसमें प्रतिदिन का विद्युत उपभोग 10-12 यूनिट का रहा है और इसी अनुपात में पूर्व में भी उनके बिलों में विद्युत उपभोग आया है। उन्होंने विद्युत बिल को सही करने के लिये निवेदन किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 532 दिनांक 13.03.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 18.03.2024 को वादी की तरफ से श्री अजय अग्रवाल पुत्र श्री विनोद अग्रवाल-वादी तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता-राजस्व उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि चैक मीटर के आधार पर वादी का मीटर बदल दिया गया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि मीटर बदलने की तिथि से 6 महीने के विद्युत उपभोग का औसत लेते हुए विगत की अवधि का बिल संशोधन करें। वादी को भी निर्देशित किया गया था कि जब तक बिल संशोधित नहीं होता, वह रु.50000 प्रोविजनली तीन दिन के अंदर जमा कर दें।
3. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 10.06.2024 को विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान सहायक अभियंता राजस्व ने बताया कि मीटर की एमआरआई की रिपोर्ट के आधार पर बिल संशोधन कर दिया है तथा संशोधित धनराशि 222209 रूपए आती है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वादी को संशोधित बिल 7 दिन के अंदर उपलब्ध करा दिया जाए। वादी का पक्ष जानने के लिये मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 08.07.2024 को नियत की गई थी।



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-180/2024

श्री गिरीश चंद्र मिश्रा,
ग्राम कपकोट,
जनपद बागेश्वर

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
बागेश्वर

प्रतिवादी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या बीजी1 जे 21104364 के सापेक्ष फरवरी 2024 के पश्चात नवंबर 2022 से मार्च 2024 तक बिल रु.48558 प्राप्त हुआ है जबकि इससे पहले वह नियमित रूप से बिल का भुगतान करते रहे हैं। उन्होंने यह बताया उपरोक्त बिल में रु.5000 की विलंब भुगतान पेनल्टी दर्शाई गई है जो कि स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इस एकमुश्त अवधि के बिल में उनका स्लैब कम से कम रु.3.15 प्रति यूनिट लगाया जाए। उन्होंने विलंब भार सहित बिल सही स्लैब के अनुसार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 591 दिनांक 25.05.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड बागेश्वर को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 10.06.2024 में विभाग ने अपने पत्र संख्या 1223 दिनांक 7.06.2024 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर आख्या प्रेषित की। जिसके अनुसार वादी का विद्युत बिल मार्च 2024 में पूर्व मीटर रीडिंग 5600 यूनिट से वर्तमान मीटर रीडिंग 13843, कुल 8243 यूनिट के अनुसार रु. 48565 का बना था जो कि बल्क मीटर रीडिंग का प्रकरण प्रतीत होता है। विभाग ने वर्तमान मापक लगने की तिथि अक्टूबर 2015 से मार्च 2024 तक प्रोराटा के आधा पर बिल का संशोधन किया है और संशोधित बिल में, धनराशि रु.27027.47 का समायोजन कर, कुल धनराशि 21537.53 बनती है जो सही है और देय है।
3. वादी का पक्ष जानने के लिये मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 08.07.2024 को नियत की गई थी जिसमें वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराने के लिये विभाग को निर्देशित किया जाता है।

नाम (नं० 184) 2024

आदेश

विभाग द्वारा वादी के बिल को वर्तमान मीटर स्थापन माह अक्टूबर 2015 से मार्च 2024 तक प्रोराटा के आधार पर संशोधित कर दिया गया है तथा संशोधित धनराशि रु.21537.53 देय है।

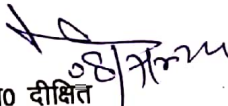
विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधित बिल, वादी को 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वादी को कहा जाता है कि उपरोक्त बिल प्राप्ति के पंद्रह दिन के अंदर वह इस बिल का भुगतान करने की व्यवस्था करें।

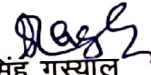
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 08.07.2024


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-181/2024

वादी

श्री धर्मेन्द्र सिंह रावत,
ग्राम भौन डांडा,
पोस्ट- भरेग खाल, भिखियासैण
जनपद अल्मोड़ा

बनाम

प्रतिवादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
भिखियासैण

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके विद्युत संयोजन मीटर नंबर 40111684660 के खराब होने की स्थिति में एक माह के भीतर दूसरा मीटर स्थापित किया गया जिसके पश्चात आईडीएफ के बिल निर्गत किये गए जिसको ठीक करने के लिये उन्होंने हर स्तर पर प्रयास किया। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग के अधिकारी द्वारा 800 रूपए मीटर रीडिंग प्रमाण पत्र भुगतान हेतु प्रार्थी से लिया गया जिसकी कोई लिखित स्लिप नहीं दी गई। उन्होंने उपरोक्त पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 592 दिनांक 25.05.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड भिखियासैण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 10.06.2024 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग ने अपने पत्र संख्या 735 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा बताया गया कि विद्युत बिल के पुनरीक्षण के पश्चात विद्युत बिल में पाई गई अनियमितता का निराकरण कर रु.525.96 का बिल सही कर दिया गया है तथा उपभोक्ता को भी अवगत करा दिया गया है।
3. वादी का पक्ष जानने के लिये मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 08.07.2024 को नियत की गई थी जिसमें वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराने के लिये विभाग को निर्देशित किया जाता है।

आदेश

विभाग द्वारा वादी के बिल को संशोधित कर दिया गया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह रु.525.96 का संशोधित बिल वादी को 10 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वादी को कहा जाता है कि उपरोक्त बिल प्राप्ति के पंद्रह दिन के अंदर वह इस बिल का भुगतान करने की व्यवस्था करें।

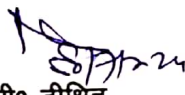
विभाग को यह भी निर्देश किया जाता है कि वह सक्षम अधिकारी के स्तर पर यह भी जांच कराएं कि किस अधिकारी ने किस नियम के अंतर्गत मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा 800 रुपए का भुगतान कराया गया तथा अगर इसमें दोष साबित होता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 08.07.2024


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक